बिहार शिक्षा परियोजना परिषद

संस्था का स्मृति पत्र
एवं
नियमावली

पटना

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद

संस्था का स्मृति पत्र
एवं
नियमावली

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, शास्त्री नगर,
पटना - 800 23

No. 3096

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण - पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 103 वर्ष 1991-1992

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट २१, १८६० के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख तेरह मास मई वर्ष उन्नीस सौ इकानवे को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

ह./-

नवीन वारस्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना

नवम्बर, १९९५

निजी वितरण हेतू

प्रस्तावना

"बिहार शिक्षा परियोजना" की संकल्पना वर्ष **1989-90** में की गयी। फरवरी 1990 में बिहार सरकार तथा भारत सरकार द्वारा एक दस्तावेज प्रकाशित किया गया, जिसमें परियोजना के दर्शन, सिद्धांत एवं लक्ष्यों का उल्लेख है। इसी वर्ष मार्च में थाइलैंड के जोमेतियन शहर में ***"सबों के लिये शिक्षा"*** पर एक विश्व-सम्मेलन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक सहयोग देने के लिये तत्पर हुईं। यूनिसेफ ***"बिहार शिक्षा परियोजना"*** के साझेदार बने।

"बिहार शिक्षा परियोजना" के उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् का निबंधन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट - 21/1860 के अधीन दिनांक 13-5-1991 को हुआ।

संस्था के स्मृति पत्र में परियोजना के विभिन्न उद्देश्यों को अंकित किया गया है, जिसकी स्पष्ट जानकारी परियोजना से जुड़ने वाले सभी व्यक्तियों के लिए जरूरी है। साथ ही, परियोजना की नियमावली भी इसके लक्ष्यों की प्राप्ति में तथा कार्य को मिशन-भावना से करने में सहायक होगी।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् का ***"स्मृतिपत्र एवं नियमावली"*** का पुनर्मुद्रण इसी दृष्टि से किया गया है कि इसकी प्रतियाँ परियोजना में पूर्ण/अंशकालीन रूप से कार्य करनेवाले सभी कर्मियों के पास उपलब्ध रहे और वे इससे दिशा-निर्देश प्राप्त करते रहें।

मदन मोहन झा
परियोजना निदेशक

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद

संस्था का स्मृति पत्र

(1) संस्था का नाम बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् होगा (इसके बाद उसे परिषद् के रूप में संदर्भित किया गया है।)

(2) परिषद् का निर्बंधित कार्यालय विकास भवन, पटना - 800015 में अवस्थित होगा।

(3) उद्देश्य :

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् एक स्वतंत्र एवं स्वायत्तशासी निकाय के रूप में बिहार शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य करेगा जैसा कि फरवरी, 1990 में बिहार सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेज में निर्देशित है एवं समय-समय पर संयुक्त पुनरीक्षण द्वारा संशोधित और तैयार परियोजना दस्तावेज में निर्देशित किया जाएगा। परिषद् का क्रियाकलाप चुने हुए जिलों में सीमित होगा लेकिन कुछ चुनी हुई एवं सहाय्य परियोजनाओं के लिए इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार के क्षेत्र में हो सकता है। बुनियादी शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्त्तन हेतु एवं इसके द्वारा सम्पूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्त्तन हेतु सामाजिक मिशन के रूप में कार्य करने के लिए परिषद् की स्थापना की गई है।

बिहार शिक्षा परियोजना के निम्नांकित विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्त्ति का प्रयास परिषद् द्वारा किया जाएगा।

(क) प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण जो निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु समग्र कार्यक्रम के रूप में देखा जाएगा :-

1. 14 आयुवर्ग के सभी बच्चों के प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभ बनाना।
2. सर्वव्यापी भागीदारी - जबतक सभी बच्चे औपचारिक या अनौपचारिक माध्यम से प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूरी करते हैं।
3. सभी बच्चों में न्यूनतम् अधिगम स्तर की संप्राप्ति।

(ख) 15 से 35 आयुवर्ग के सभी वयस्कों के बीच व्याप्त निरक्षरता का व्यापक उन्मूलन और कार्यात्मक साक्षरता शिक्षा सुनिश्चित करना तथा युवाओं और वयस्कों के बीच उत्तर साक्षरता, अनवरत शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रम चलाना।

(ग) महिलाओं के लिए समानता और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना।

(घ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के निर्धन वर्ग को शिक्षा का समान अवसर का प्रावधान करने के लिए आवश्यक उपाय करना।

(ड.) शिक्षा को कार्य एवं लोगों के रहन–सहन के साथ सम्बद्ध करना – जो उनकी आजीविका की समस्या, पर्यावरण की समस्या और माँ तथा बच्चों की जीवन रक्षा की समस्या को दूर कर सकने की क्षमता का विकास कर सकेगा।

(च) संस्कृति एवं संचार, विज्ञान एवं पर्यावरण और सामाजिक न्याय की भावना पैदा करने संबंधी विभिन्न शैक्षिक क्रिया–कलापों पर विशेष बल देना।

(4) कार्य :

उपर्युक्त उद्देश्यों की संप्राप्ति हेतु परिषद् के निम्नांकित कार्य होंगे जो परिषद् के कार्यालय एवं इसके स्टाफ द्वारा सीधे किए जाएँगे या परिषद् द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त संस्थाओं, अभिकरणों या व्यक्तियों द्वारा किए जाएँगे।

(क) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए और विशेषकर उपरोक्त कंडिका–3 में अंकित उद्देश्यों की संप्राप्ति हेतु आवश्यकतानुसार राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों, स्वायतशासी निकायों की प्रतिभागिता से एक प्राधिकृत प्रशासनिक क्षेत्र की संरचना करना।

(ख) परिषद् के उद्देश्यों की संप्राप्ति हेतु आवश्यकतानुसार राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों, स्वायत्तशासी निकायों की प्रतिभागिता से एक प्राधिकृत प्रशासनिक क्षेत्र की संरचना करना।

(ग) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु शाखा कार्यालय के रूप में जिला कार्य बल की स्थापना करना और मंडल, जिला, अनुमण्डल, प्रखंड एवं ग्राम–स्तर पर उपयुक्त अन्य क्षेत्रों की स्थापना करना और उन्हें अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने हेतु आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करना।

(घ) शिक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्ध शैक्षिक संस्थाओं, स्वैच्छिक अभिकरणों, शिक्षक संगठनों और व्यक्तियों की सक्रिय संलग्नता एवं प्रतिभागिता प्राप्त करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(ड.) प्रशिक्षण प्रक्रिया एवं सजगता–निर्माण के माध्यम से लोगों की संलग्नता द्वारा बुनियादी शिक्षा में प्रभावी विकेन्द्रीकरण लाना और समुचित संरचना विकसित करना–औपचारिक या अन्य।

(च) परिषद् के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षकों की रचनात्मक प्रतिभागिता प्राप्त करना। इसके लिए औपचारिक या अनौपचारिक संरचनाएँ संस्थापित करना।

(छ) बुनियादी शिक्षा में नए प्रयोग करना एवं नवाचार का कार्यक्रम शुरू करना।

(ज) बुनियादी शिक्षा और इसके प्रबंधन से संबंधित अनुसंधान एवं अध्ययन का कार्य करना एवं उसे बढ़ावा देना।

(झ) वर्त्तमान में उपलब्ध संस्थाओं को सुसज्जित करके या नई संस्थाएँ स्थापित कर तकनीकी संसाधन सहायता को सुनिश्चित करना।

(ञ) बुनियादी शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्य सरकार को परामर्श देना।

(ट) परियोजना से संबंधित विषयों पर सम्मेलन, विचार-गोष्ठी, कार्यशाला आदि का आयोजन करना।

(ठ) शैक्षिक सामग्री का निर्माण एवं उत्पादन करना और उसका विस्तार करना।

(ड) परिषद् में शैक्षिक, तकनीकि, प्रशासनिक एवं प्रबंधन तथा अन्य पदों का सृजन करना और परिषद् के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार उनका भुगतान करना।

(ढ) परिषद् के कार्यों को संचालित करने के लिए नियम एवं अधिनियम बनाना और समय-समय पर उनके परिवर्द्धन या संशोधन करना, परिवर्त्तन या निरस्त करना।

(त) किसी भी प्रकार की राशि-अनुदान, सुरक्षा निधि या सम्पत्ति स्वीकार करना और किसी भी दान, न्यास, निधि या चंदे का प्रबंधन दायित्व लेना और स्वीकार करना जिसका उद्देश्य परिषद् के उद्देश्यों के विरोधी न हो।

(थ) आय-व्ययक तैयार कर अर्थनीति के अंतर्गत और ईमानदारी पूर्वक राशि खर्च करना।

(द) परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा जोखा तैयार करना।

(ध) परिषद् के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यकतानुसार भवन खरीदना, किराये या पट्टे पर लेना, सम्पत्ति का आदान-प्रदान करना या अधिग्रहण करना, भवन बदलना और भवन का रख-रखाव करना।

(न) ऐसे और कार्य करना जो परिषद् के उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिए आवश्यक हो।

(5) धन और सम्पत्ति :

किसी भी श्रोत से परिषद् को प्राप्त आय और धन का उपयोग परिषद् के स्मृति - पत्र में निर्धारित उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिए किया जाएगा। बिहार सरकार या भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की राशि सरकार द्वारा समय-समय पर लगाई गई सीमाओं के अन्दर खर्च की जाएगी। परिषद् की आय या धन का कोई भी अंश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभांश, अधिलाभ या अन्य किसी लाभ के रूप में किसी भी व्यक्ति को जो परिषद् का सदस्य रह चुका है, भुगतान या हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा। परिषद् की सेवा करने वाले किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को यात्रा-भत्ता, मानदेय, पारिश्रमिक, ठहराव भत्ता या अन्य सदृश परिव्यय का भुगतान परिषद् द्वारा किया जायेगा।

(6) सरकार का अधिकार

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार संयुक्त रूप से एक या अधिक व्यक्तियों को परिषद् के कार्य एवं प्रगति की समीक्षा हेतु एवं कार्यकलाप की जाँच हेतु नियुक्त कर सकता है और सरकार इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग कर सकती है। प्रतिवेदन के आधार पर सरकार कार्रवाई कर सकती है या आवश्यकतानुसार किसी मामले में निर्देश दे सकनी है और परिषद् उस निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार समय-समय पर संयुक्त रूप से परिषद् के नीतिगत मामले में निर्देश - पत्र जारी कर सकती है और परिषद् इस निर्देश का शीघ्र अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

(7) विघटन :

परिषद् का कार्य समाप्त होने पर या विघटित होने पर परिषद् के सारे आदेय एवं कर्ज आदि भुगतान के बाद बची सम्पत्ति इसके सदस्यों के बीच न तो बांटी जायेगी और न भुगतान की जाएगी। इस मामले में राज्य सरकार निर्णय करेगी।

(8) परिषद् के शासनिक निकाय के सदस्यों की सूची पृष्ठ आठ पर दी गई है जिनके जिम्मे परिषद् के नियम एवं संविधान के अनुसार इसका प्रबंधन एवं कार्यकलाप का दायित्व सौंपा जाता है।

(9) परिषद् के नियम एवं संविधान की सही प्रति जो सामान्य परिषद् के तीन सदस्यों द्वारा प्रमाणित की गई है इस स्मृति-पत्र के साथ संलग्न है।

(10) हम सभी व्यक्ति जिनके नाम एवं पते पृष्ठ-5 पर दिए गए हैं, संस्था के स्मृति-पत्र में अंकित उद्देश्यों के लिए स्वयं को इससे सम्बद्ध करते हुए संस्था के स्मृति-पत्र का समर्थन करते हैं और अपना सहयोग देते हुए सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 की धारा XXI के अनुसार एक सोसाईटी गठित करते हैं।

इच्छुक व्यक्ति :

संस्था के समिति पत्र के अनुरूप हम अधोहस्ताक्षरीगण बिहार राज्य के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अधीन एक सोसाइटी बनाने के इच्छुक हैं, जिसका नाम **"बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्"** होगा।

क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	कमला प्रसाद	मुख्य सचिव बिहार, पटना	ह./-
2.	अरुण पाठक	विकास आयुक्त बिहार सरकार	ह./-
3.	रामाकान्त श्रीवास्तव	सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग। बिहार सरकार	ह./-
4.	जगदीश मिश्रा	सचिव, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ, एक्जीवीशन रोड, पटना	ह./-
5.	लोकनाथ प्रसाद	सचिव	ह./-
6.	अशोक कुमार चौधरी	सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार बिहार सरकार	ह./-
7.	अमिताभ मुखोपाध्याय	शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001	ह./-
8.	सी.आर वेंकट रमण	वित्त सचिव बिहार सरकार	ह./-

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् नियमावली

(1) लघु शीर्षक :- इन नियमों को ''बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् नियमावली'' कहा जा सकता है।

(2) विस्तार क्षेत्र तथा उपयोग :- इन नियमों का परिषद् की सभी इकाईयों तथा कार्यकलाप तक विस्तार होगा।

(3) ये नियम बिहार राज्य में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन जिस तिथि को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, निबंधित हुई, उसी तिथि से प्रभावी होंगे।

(4) परिभाषाएँ :- इन नियमों में, जब तक प्रसंगवश अन्यथा अपेक्षित न हो,

(i) बेसिक एडुकेशन का अर्थ होगा परियोजना के प्रसंग में लिए गए निम्नांकित कार्यकलाप :-

(क) प्रारम्भिक बालपन की देखभाल तथा शिक्षा,

(ख) 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, जो औपचारिक विद्यालय पद्धति के माध्यम से हो अथवा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा,

(ग) वयस्क साक्षरता तथा शिक्षा,

(घ) महिलाओं की समानता तथा अधिकार के उद्देश्यवाले शैक्षिक तथा अन्य कार्यक्रम तथा

(च) उत्तर साक्षरता तथा सतत् शिक्षा, कुशलता के विकास सहित।

(II) केन्द्र सरकार का अर्थ होगा भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग)।

(III) सभापति का अर्थ होगा परिषद् की कार्यकारिणी समिति का सभापति।

(IV) ''कार्यकारिणी समिति'' का अर्थ होगा धारा 22 के अन्तर्गत गठित परिषद् की कार्यकारिणी समिति नामक समिति।

(V) ''दिलचस्पी लेने वाले अभिकरण'' का अर्थ होगा (1) केन्द्र सरकार (2) राज्य सरकार, (3) शिक्षक संघ, (4) स्वैच्छिक संस्थाएँ और (5) यूनिसेफ।

(VI) ''अनौपचारिक शिक्षा'' का अर्थ होगा समान्यतः 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दी जानेवाली प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर के अनुरूप अंशकालिक शिक्षा।

(VII) ''पदाधिकारी तथा कर्मचारीगण'' का अर्थ होगा परिषद् का पूर्णकालिक कर्मचारी जिसे कार्यकारिणी समिति अथवा अन्य अधिकारी या पदाधिकारी, जिसे ऐसा कार्य करने को अधिकार सौंपे गए, द्वारा नियुक्त किया गया। इसमें सलाहकार, फेलो तथा शोध कर्मचारीगण समाविष्ट होंगे, राज्य परियोजना निदेशक नहीं।

(VIII) "परिषद्" का अर्थ होगा, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्।

(IX) "परियोजना" का अर्थ है बिहार शिक्षा परियोजना जैसा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिपादित किया गया और फरवरी 1990 में प्रकाशित हुआ और संयुक्त समीक्षाओं के आधार पर समय-समय पर रूपान्तरित किया गया तथा सविस्तार प्रतिपादित किया गया।

(X) "अध्यक्ष" का अर्थ होगा परिषद् का अध्यक्ष।

(XI) "प्राथमिक शिक्षा" का अर्थ होगा वर्ग-1 से 5 तक के अनुकूल शिक्षा।

(XII) "राज्य परियोजना निदेशक" का अर्थ होगा परिषद् का परियोजना निदेशक जिसे धारा-20 के अन्तर्गत बिहार सरकार द्वारा नियुक्त किया गया।

(XIII) "राज्य सरकार" का अर्थ होगा बिहार सरकार (मानव संसाधन विकास विभाग)।

(XIV) "तकनीकी संसाधन" का अर्थ होगा (1) पाठ्यक्रम तथा पठन-पाठन सामग्री का विकास, (2) शिक्षण विधियाँ, (3) शिक्षकों का प्रशिक्षण, (4) शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विकास, (5) माध्यम तथा संचार, तथा (6) शिशिक्षु मूल्यांकन।

(XV) "उच्च प्राथमिक शिक्षा" का अर्थ होगा वर्ग-6 से 8 के अनुकूल शिक्षा।

(XVI) "उपाध्यक्ष" का अर्थ होगा परिषद् का उपाध्यक्ष।

(XVII) "स्वैच्छिक संस्थाएँ" का अर्थ होगा गैर सरकारी संस्थाएँ, जिन्हें परियोजना के अधीन किसी काम को करने के लिए उत्तरदायित्व ऐसे अधिकारी के द्वारा सौंपा गया हो जो ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया। इसमें निबन्धित समितियों, सार्वजनिक न्यास तथा अलाभकारी कम्पनियाँ सम्मिलित होंगी।

(XVIII) (क) एकवचन बताने वाले शब्दों में बहुवचन भी सम्मिलित हैं और बहुवचन वाले में एकवचन।

(ख) पुल्लिंग बताने वाले शब्दों में स्त्रीलिंग भी सम्मिलित हैं।

परिषद् :

(5) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1.	मुख्य मंत्री, बिहार	अध्यक्ष पदेन
2.	प्राथमिक शिक्षा मंत्री, बिहार	उपाध्यक्ष पदेन
3.	विकास आयुक्त	सदस्य

4.	आयुक्त तथा सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
5.	सचिव, योजना तथा विकास विभाग	सदस्य
6.	सचिव, ग्रामीण विकास	सदस्य
7.	वित्त सचिव तथा आयुक्त, बिहार सरकार	सदस्य
8.	गैर सरकारी संस्थाओं से चार व्यक्ति, जो राज्य में शैक्षिक कार्यों में लगे हैं। इनमें एक महिला हों, जिनको राज्य सरकार मनोनीत करेगी	सदस्य
9.	सम्बन्ध राज्य स्तरीय संस्थाओं के पाँच प्रधानों तक, जो तकनीकी संसाधन विकास में लगे हों। इनको राज्य सरकार मनोनीत करेगी	सदस्य
10.	शिक्षकों के प्रतिनिधि, इनको राज्य सरकार मनोनीत करेगी।	सदस्यगण
	(क) तीन व्यक्ति, कम-से-कम एक महिला सहित, जो प्राथमिक शिक्षा का प्रतिनिधित्व करें,	
	(ख) तीन व्यक्ति, कम-से-कम एक महिला सहित, जो अनौपचारिक शिक्षा/वयस्क शिक्षा आदि में लगे अनुदेशकों तथा अन्य कर्मियों का प्रतिनिधित्व करें,	
	(ग) तीन शिक्षक जो बुनियादी शिक्षा पद्धति की अपनी प्रतिबद्धता के लिए ज्ञात हैं। इनमें कम-से-कम एक महिला होंगी।	
11.	तीन प्राथमिक विद्यालयों के प्राधानाध्यापक, जो प्रारम्भिक शिक्षा में अपनी नेतृत्व तथा आह्वानों के लिए ज्ञात हैं। इनमें कम-से-कम एक महिला होंगी।	सदस्यगण
12.	तीन प्रतिनिधि जिन्हें राज्य सरकार मनोनित करेगी जो विख्यात शिक्षाविदों, लेखकों, कलाकारों, कवियों एवं विषय विशेषज्ञों में से हों।	
13.	बिहार सरकार के अन्य पदेन प्रतिनिधि -	
	(क) परियोजना के चुने जिलों में जिला समितियों के छः प्रधान चक्रानुक्रम से जिनमें दो व्यक्ति प्रतिवर्ष वरीयता के आधार पर अवकाश प्राप्त करें।	

(ख) पांच विभागाध्यक्ष, जिनके कार्य बुनियादी शिक्षा से सम्बन्धित हैं।

(ग) जिला टास्क फोर्स के छः कार्यकारी प्रधान चक्रानुक्रम से, जिनमें से दो व्यक्ति प्रतिवर्ष वरीयता के आधार पर अवकाश प्राप्त करें।

14. केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि –

(क) केन्द्र सरकार के तीन प्रतिनिधि, जिन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), भारत सरकार मनोनीत करेगी।

(ख) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

(ग) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।

(घ) निदेशक, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली।

15. केन्द्र सरकार के अन्य मनोनीत

(क) प्रारम्भिक

(क) तीन व्यक्ति, बुनियादी शिक्षा कार्यक्रमों में विशेष रूचि रखने वाले, जिनमें कम-से-कम एक महिला हों।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत शैक्षिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग में लगी संस्थाओं के दो प्रधान/प्रतिनिधि।

16. यूनिसेफ के दो प्रतिनिधि :- सदस्यगण

17. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वालों में से प्रत्येक में दो व्यक्ति, प्रत्येक कोटि में एक व्यक्ति केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे। सदस्यगण

18. पाँच महिलाएँ, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त कर ली है, इनमें से दो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत और तीन केन्द्र सरकार द्वारा। सदस्यगण

19. कार्यकारिणी समिति के वे सभी सदस्य जो ऊपर सम्मिलित नहीं हुए। सदस्यगण

20. राज्य परियोजना निदेशक सदस्यगण

(6) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की अवधि 2 वर्ष होगी। ऐसे सदस्य पुनः मनोनयन के योग्य नहीं होंगे।

(7) परिषद् के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यदि

(क) वे पद त्याग दें, विक्षिप्त हों, दिवालिया हो या नैतिक चरित्रहीनता से संलग्न फौजदारी अपराध के दोषी ठहराए गए हों, या

(ख) वे परिषद् की लगातार तीन बैठकों में, अध्यक्ष की उपयुक्त अनुमति के बिना, उपस्थित नहीं होते हैं।

(8) जहाँ परिषद् का कोई सदस्य नियुक्ति के पद को धारण करने के कारण सदस्य होता है, तो उसकी परिषद् की सदस्यता समाप्त हो जाएगी जब वह उस पद अथवा नियुक्ति छोड़ देगा।

(9) परिषद् की सदस्यता का त्याग-पत्र राज्य परियोजना निदेशक को अर्पित किया जाएगा और तब तक प्रभावी नहीं होगा जबतक अध्यक्ष की ओर से वह स्वीकृत नहीं हो जाता।

(10) रिक्तियाँ : परिषद् की सदस्यता में कोई रिक्ति मनोनयन करने के अधिकृत अधिकारी वर्ग द्वारा मनोनयन से भरी जाएगी और रिक्ति में नियुक्त व्यक्ति सदस्यता की अवधि के बचे समय के लिए ही कार्य कर सकेंगे।

(11) परिषद् का कोई सदस्य जो अपने कार्य के कारण सदस्य होने का अधिकारी है, वह यदि कुछ समय के लिए परिषद् का सदस्य नहीं है और न इसकी किसी समिति में अन्य रिक्ति नियुक्ति नहीं होने अथवा किसी अन्य कारण से होते हुए भी परिषद् कार्य करेगी और परिषद् का कोई कार्य अमान्य मात्र इसलिए नहीं होगा कि उपर्युक्त कोई घटना हुई अथवा परिषद् के सदस्यों में से किसी की नियुक्ति में कोई दोष हो।

परिषद् के अधिकार और कर्तव्य :

(12) परिषद् की निम्नलिखित अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :-

1. परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा व्यापक नीति विषयक मार्गदर्शन तथा निर्देश परिषद् के सुसंचालन के लिए होना।
2. पिछले वर्ष के लिए आय-व्यय पत्रक तथा अंकेक्षित लेखाओं पर विचार करना।
3. कार्यकारिणी समिति द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना।
4. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अनुमोदन से परिषद् की नियमावली में कुछ जोड़ना तथा सुधार करना।
5. इन नियमों के अधीन इसे सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य करना।

परिषद् की कार्यवाही :

(13) परिषद् की बैठकें अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय, तिथि तथा स्थान पर हुआ करेंगी।

(14) इन नियमों में अन्यथा प्रावधानों को छोड़कर परिषद् की सभी बैठकें राज्य परियोजना निदेशक के हस्ताक्षर से सूचना द्वारा आहूत की जाएँगी।

(15) परिषद् की बैठक में यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(16) परिषद् के सदस्यों की एक तिहाई परिषद् की प्रत्येक बैठक में गणपूर्त्ति होगी। बशर्ते कि स्थगित बैठक के सम्बन्ध में गणपूर्त्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(17) परिषद् की बैठकों में सभी विवादास्पद प्रश्नों का निर्धारण मत द्वारा होगा और मतों के समान होने की स्थिति में बैठक में अध्यक्षता करनेवाले व्यक्ति अपने मत का इस्तेमाल करेंगे।

परिषद् के पदाधिकारी तथा अधिकारी वर्ग :

(18) पदाधिकारी : परिषद् के पदाधिकारी होंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, राज्य परियोजना निदेशक तथा अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हें कार्यकारिणी समिति द्वारा पदनाम धारित किया गया हो।

(19) परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होंगे, जो उनके पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा शर्त्तें निर्धारित करेगी।

(20) **अधिकारी वर्ग :** परिषद् के निम्नांकित अधिकारी वर्ग होंगे :-

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. सभापति
4. कार्यकारिणी समिति
5. राज्य कार्यक्रम निदेशक
6. ऐसे अन्य अधिकारी वर्ग जो कार्यकारिणी समिति द्वारा संगठित किए जाएँगे।

कार्यकारिणी समिति :

(21) परिषद् के कार्य, परिषद् के नियमों, अधिनियमों तथा आदेशों के अनुरूप कार्यकारिणी समिति द्वारा किए जाएँगे, जो निम्नांकित की बनी होगी :-

1. शिक्षा आयुक्त एवं सचिव,
   मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना - सभापति पदेन

2.	वित्त सचिव, अथवा उनके द्वारा राज्य सरकार में मनोनीत	–	सदस्य
3.	सचिव, योजना और विकास	–	सदस्य
4.	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना	–	सदस्य
5.	निदेशक, वयस्क/अनौपचारिक शिक्षा, बिहार, पटना	–	सदस्य
6.	निदेशक, महिला एवं बाल कल्याण, बिहार, पटना	–	सदस्य
7.	दो जिला परियोजना समन्वयक चुने हुए जिलों में से चक्रानुक्रम से सभापति द्वारा मनोनीत	–	सदस्य
8.	दो जिला समितियों के प्रधान, जो चक्रानुक्रम से चुने हुए जिलों में से होंगे ओर जिनको सभापति मनोनीत करेंगे	–	सदस्य
9.	केन्द्र सरकार के तीन प्रतिनिधि, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा मनोनीत होंगे।	–	सदस्य
10.	दो निदेशक/राज्य स्तरीय शैक्षिक तथा तकनीकी संसाधन सहायक एजेंसियों के प्रतिनिधि	–	सदस्य
11.	दो शिक्षा शास्त्री जो अपने अनुभव तथा बुनियादी शिक्षा में रूचि के लिए ज्ञात हैं, एक राज्य सरकार तथा एक केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत	–	सदस्य
12.	यूनिसेफ के एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
13.	दो कार्यरत् शिक्षक, जो शिक्षक संगठनों को प्रतिनिधित्व करें, बुनियादी शिक्षा से सम्बद्ध और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	–	सदस्य
14.	दो महिलाएँ जिनका महिलाओं के विकास तथा शिक्षा में अनुभव और रुचि हो, एक केन्द्र सरकार और एक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	–	सदस्य
15.	दो व्यक्ति स्वैच्छिक संस्थाओं से, जिन्होंने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में काम के लिए ख्याति प्राप्त की हो, एक केन्द्र सरकार तथा एक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	–	सदस्य
16.	परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक,	–	सदस्य सचिव

(22) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की कार्यावधि 2 वर्ष होगी। ऐसे सदस्य पुनः मनोनयन के योग्य नहीं होंगे।

(23) कार्यकारिणी समिति के सदस्य ऐसे सदस्य नहीं रहेंगे, यदि

(क) वे पदत्याग करते हैं, विक्षिप्त हैं, दिवालिया हो अथवा नैतिक चरित्रहीनता से संलग्न फौजदारी अपराध के दोषी ठहराए गए हों, या

(ख) वे कार्यकारिणी समिति की लगातार तीन बैठकों में सभापति की उपयुक्त अनुमति के बिना उपस्थित नहीं होते हैं।

(24) कार्यकारिणी समिति की सदस्यता का त्यागपत्र राज्य परियोजना निदेशक को अर्पित किया जाएगा और तब तक प्रभावी नहीं होगा जबतक सभापति की ओर से वह स्वीकृत नहीं हो जाता।

(25) रिक्तियाँ : कार्यकारिणी समिति की सदस्यता में कोई रिक्ति ऐसी नियुक्ति अथवा मनोनयन करने के लिए अधिकृत अधिकारी वर्ग द्वारा नियुक्ति अथवा मनोनयन से भरी जाएगी और उस रिक्ति में नियुक्त व्यक्ति सदस्यता की कार्यावधि के बचे समय के लिए ही कार्य करेंगे।

(26) कोई व्यक्ति जो अपने पद के कारण सदस्य हो सकता है, पर कुछ समय के लिए कार्यकारिणी समिति का सदस्य नहीं है तथा समिति में किसी अन्य रिक्ति, भले वह नियुक्त करने के लिए अधिकृत अधिकारी वर्ग द्वारा नियुक्त नहीं होने के कारण या अन्य प्रकार से होते हुए भी कार्यकारिणी समिति कार्य करेगी और कार्यकारिणी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र इसलिए अमान्य नहीं होगी कि ऐसी कोई उपर्युक्त घटना अथवा किसी सदस्य की नियुक्ति में दोष है।

कार्यकारिणी समिति की कार्यवाहियाँ :

(27) कार्यकारिणी समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता सभापति करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य उस अवसर पर अध्यक्षता करेंगे।

(28) कार्यकारिणी समिति के उपस्थित सदस्यों की एक तिहाई से कार्यकारिणी समिति की किसी बैठक की गणपूर्त्ति बनेगी बशर्ते कि स्थगित बैठक के सम्बन्ध में गणपूर्त्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(29) कम-से-कम सात स्पष्ट दिनों की सूचना कार्यकारिणी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी बशर्ते कि-

(क) सभापति 3 दिनों की सूचना पर आपात बैठक बुला सकते हैं, और

(ख) बैठक की सूचना देने के किसी असावधान चूक अथवा इसकी किसी सदस्य द्वारा इसके प्राप्त नहीं होना बैठक की कार्यवाही को अमान्य नहीं कर सकेगा।

(30) कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाने की प्रत्येक सूचना बतायेगी कि ऐसी बैठक किस तिथि को, किस समय और कहाँ होगी तथा अन्यथा को छोड़कर जैसा इन नियमों में प्रावधान है, सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर से सूचना दी जाएगी।

(31) कार्यकारिणी समिति आवश्यकतानुसार बैठक करेगी पर वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार अवश्य बैठेगी।

(32) सभापति सहित कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य को एकमत होगा और यदि मतों की समानता कार्यकारिणी समिति द्वारा किसी प्रश्न पर निर्णय करना हो, तो सभापति को एक मत अतिरिक्त होगा।

कार्यकारिणी समिति के कार्य और अधिकार :

(33) कार्यकारिणी समिति का यह उत्तरदायित्व होगा कि परिषद् के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें और इसके सभी कार्य निष्पादित करे। कार्यकारिणी समिति सभी प्रशासनिक, वित्तीय तथा शैक्षिक अधिकार का उपयोग सभी तरह के पदों को सृजित करने तथा उनपर अधिनियमों के अनुसार नियुक्ति करने के सहित करेगी।

(34) कार्यकारिणी समिति के नियंत्रणाधीन परिषद् के सभी कार्यों तथा कोष का प्रबंधन रहेगा।

(35) कार्यकारिणी समिति को निम्नलिखित के सम्बन्ध में अधिकार तथा उत्तरदायित्व होंगे :-

(क) राज्य सरकार के अनुमोदन से अधिनियमों को बनाना,

(ख) इसके उद्देश्यों की सहायता में परिषद् के कार्यकलाप को चलाने के लिए उपनियमों को बनाना।

(36) कार्यकारिणी समिति को अधिकार होगा कि वह अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए अन्य सरकारी अथवा निजी संगठनों अथवा व्यक्तियों के साथ समझौते में सम्मिलित हो सकता है।

(37) कार्यकारिणी समिति को अधिकार होंगे कि वह स्थायी निधि, सहायक अनुदान, दान अथवा उपहार परिषद् के लिए पारस्परिक सम्मत शर्त्तों पर तथा प्रतिबंधों पर प्राप्त कर सके और स्वीकार कर सके बशर्ते कि उन सहायक अनुदान, दान या उपहार के प्रतिबन्ध असंगत अथवा परिषद् के उद्देश्यों के साथ अथवा इन नियमों के प्रावधानों के साथ विरोध में नहीं हो।

(38) कार्यकारिणी समिति को अधिकार होगा कि क्रय, उपहार अथवा अन्य प्रकार से सरकार तथा अन्य सरकारी समितियों अथवा निजी व्यक्तियों से चल तथा अचल सम्पतियाँ या अन्य कोष किसी आनुषांगिक दायित्व के साथ तथा वादों, जो परिषद् के उद्देश्यों तथा इन नियमों के प्रावधानों के असंगत न हो, ग्रहण कर सकती है तथा अर्जित कर सकती है।

(39) कार्यकारिणी समिति को अधिकार होंगे कि वह परिषद् के उपयोग के लिए वांछित भवन के निर्माण का भार अपने ऊपर ले सकती है अथवा ठेका दे सकती है और परिषद् के कार्यों के सम्पादन के लिए वांछित भंडार तथा सेवाएँ अर्जित कर सकती है।

(40) संस्था के स्मृति पत्र की धारा 5 के प्रावधान के अधीन कार्यकारिणी समिति को परिषद् की किसी चल या अचल सम्पत्ति को बेचने अथवा पट्टे पर देने या लेने का अधिकार होगा, बशर्ते कि परिषद् की कोई परिसम्पत्ति, जो सरकारी अनुदान से निर्मित हुई, बेची नहीं जाएगी, ऋणग्रस्त नहीं की जाएगी अथवा जिन उद्देश्यों के लिए अनुदान स्वीकृत हुआ उससे भिन्न में उसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

(41) कार्यकारिणी समिति को अधिकार होंगे कि बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के विविध क्षेत्रों के लिए स्थायी/तदर्थ समितियों अथवा टास्क फोर्स/ग्रुपों आदि स्थापित करें तथा उनकी सदस्यता सूचित करें और उनकी सदस्यता, अधिकारों और कर्त्तव्यों के संबंध में निर्णय करें।

(42) कार्यकारिणी समिति संकल्प द्वारा सलाहकार बोर्ड या अन्य विशिष्ट समितियाँ ऐसे उद्देश्यों के लिए और ऐसे अधिकारों के साथ नियुक्त कर सकती है जैसा कार्यकारिणी समिति उचित समझें और कार्यकरिणी समिति अपने द्वारा स्थापित समितियाँ तथा सलाहकार बोर्डों में से किसी को विघटित कर सकती है।

(43) कार्यकारिणी समिति सभापति, राज्य परियोजना निदेशक या अपने सदस्यों में से किसी को और/या समिति/ग्रुप को या परिषद् के किसी दूसरे पदाधिकारी को ऐसे प्रशासनिक, वित्तीय तथा शैक्षिक अधिकार सौंप सकती है और यह जो उचित समझे वैसे कार्य सोच सकती है और सीमा भी निर्धारित कर सकती है जिसके अन्तर्गत अधिकारों और कर्त्तव्यों का व्यवहार करना या पूरा करना है।

अधिनियम :

(44) परिषद् के किसी विशेष निर्देशों के अधीन तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के व्यापक परामर्श को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी समिति को इन नियमों से संगत अधिनियम बनाने और सुधारने के अधिकार परिषद् कार्यों के संचालन तथा प्रबन्धन के लिए होंगे और इस प्रावधान की सामान्य बात को हानि पहुँचाए बिना ऐसे अधिनियम निम्नांकित मामलों में लागू होंगे :-

1. पदों के सृजन, योग्यता, चुनाव प्रक्रिया, सेवा शर्त्ते, वेतन तथा उपलब्धि, अनुशासन तथा नियंत्रण नियमावली सहित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों से संबधित सेवा के मामले।
2. बजट का सूत्रीकरण, क्रय प्रक्रिया वित्तीय अधिकार सौंपना निधिनिवेश, लेखा संधारी तथा अंकेक्षण, अग्रिम भत्ता तथा मँहगाई भत्ता नियमावली आदि सहित महत्त्वपूर्ण वित्तीय पहलू।
3. ऐसे दूसरे मामले जो उद्देश्यों की सहायता तथा परिषद् के कार्यों के सही संचालन के लिए आवश्यक हो।

बशर्ते कि इस नियम के उद्देश्य के लिए निम्नांकित मार्गदर्शिका को पदों के सृजन तथा सेवा एवं वित्तीय अधिनियमों के प्रतिपादन में ध्यान रखा जाए।

(क) कार्यकारिणी समिति द्वारा सृजित किए जाने वाले पदों के सम्बन्ध में वेतनमान केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के वेतनमान के अनुरूप होगा।

(ख) परिषद् के लिए सृजित किए जाने वाले पदों के सम्बन्ध में भर्ती स्थानान्तरण प्रतिनियोजन पर अथवा कम अवधि के ठेके पर होगी। विशिष्ट जिम्मेवारी से सम्बन्धित कार्य के लिए निश्चित परिलाभ पर व्यक्ति काम पर लगाए जाएँगे, इस प्रावधान के साथ कि यदि उचित समझा गया तो प्रतिवर्ष उसका पुनरीक्षण होगा।

(ग) प्रबन्धन के ढाँचे में कर्मचारी वर्ग जो स्थायी भार राज्य सरकार पर होने वाले हों, नियुक्त नहीं किए जाएँगे।

(घ) जबतक परिषद् अपने अधिनियम नहीं प्रतिपादित करती, कार्यकारिणी समिति द्वारा ऐसे सभी मामलों में लिए गए निर्णय लागू होंगे।

(ड.) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के सिद्धान्त का अनुपालन होगा।

(च) वित्तीय औचित्य तथा दूरदर्शिता का विचार ध्यान में रखा जाएगा।

उपनियम :

(45) परिषद् के विशिष्ट निर्देशों तथा इन नियमों तथा अधिनियमों में बताए गए प्रावधानों के अधीन कार्यकारिणी समिति को अधिकार होंगे कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिषद् के कार्यकलाप के चलाने के लिए उपनियम बनावे तथा सुधार करें और ये उपनियम इन मामलों के सम्बन्ध में भी लागू होंगे।

(क) शाखा कार्यालयों की स्थापना,

(ख) सामान्य परिषद् कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियों तथा उपसमितियों के काम का निष्पादन,

(ग) स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान

(घ) व्यक्तियों की सहभागिता तथा उनके साथ ठेकेवाली व्यवस्था,

(च) विद्यालय मैपिंग तथा नए विद्यालयों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों तथा अन्य बुनियादी शिक्षा सुविधाओं की स्थापना।

(छ) सुविधाएँ तथा उत्प्रेरणाएँ प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के प्रवेश और भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रदान की जाएँ।

(ज) तकनीकी संसाधन सहाय्य के सभी पहलू।

(झ) ऐसी दूसरी चीजें जो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों।

सभापति :

(46) शिक्षा सचिव, बिहार, सरकार कार्यकारिणी समिति के पदेन सभापति होंगे।

सभापति :

1. सुनिश्चित करेंगे कि परिषद् के कार्य सुचारू रूप से और परियोजना में प्रावधानों, संस्था के स्मृति पत्र, परिषद् के नियमों, अधिनियमों तथा उपनियमों के अनुसार संचालित हो रहे हैं।
2. कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
3. स्वयं बुला सकते हैं अथवा अपने हस्ताक्षर से लिखित अधियाचन द्वारा सदस्य-सचिव को कभी भी कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाने को कह सकते हैं।
4. किसी विशेष मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बराबर मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करेंगे।
5. कार्यकारिणी समिति की सभी बैठकों में सदस्यों द्वारा दिए गए मतों की मान्यता का निर्णय करने के लिए एकमात्र और निर्द्वन्द्ध अधिकारी होंगे,
6. कार्यकारिणी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आमंत्रित करने के योग्य होंगे बशर्ते कि ऐसे व्यक्तियों को मतदान का अधिकार नहीं होगा, तथा
7. आपात स्थिति में अल्पसूचना पर कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक बुलाने के लिए सदस्य-सचिव को निर्देश दे सकते हैं।

राज्य परियोजना निदेशक के कर्त्तव्य और अधिकार :

(47) राज्य परियोजना निदेशक, परिषद् के प्रधान कार्यकारी पदाधिकारी होंगे और कार्यकारिणी समिति के सभापति के निर्देशन तथा मार्गदर्शन के अंतर्गत जीवनोद्देश्य शैली में परियोजना के विविध कार्यकलाप के कार्यान्वयन साथ परिषद् के कार्यों तथा कोषों के सही संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे। अपने कार्यों के प्रभावकारी निष्पादन के लिए उन्हें अधिकार होंगे कि :-

(क) कार्यक्रम अंगीभूतों तथा कार्यात्मक क्षेत्रों के प्रत्येक के लिए मार्गदर्शक दल गठित करें,

(ख) टास्क फोर्स परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने को संयोगी दल के रूप में गठित करें, जिसमें स्थायी दलों के प्रधान सम्मिलित होंगे।

(ग) परिषद् के सभी पदाधिकारियों तथा कर्मचारीवर्ग के कर्त्तव्यों का निर्धारण करें,

(घ) आवश्यकतानुसार वैसे पर्यवेक्षण तथा अनुशासनात्मक नियंत्रण का प्रयोग करें,

(च) उसकी शाखाओं तथा घटकों सहित परिषद् के कार्यकलाप पर समन्वयन तथा सामान्य पर्यवेक्षण का प्रयोग करें,

(छ) परिषद् तथा कार्यकारिणी समिति की बैठकों का संचालन करें और इन नियमों के अनुसार इन बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखे, तथा

(ज) परिषद् के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में कार्यकारिणी समिति द्वारा सौंपे गए वैसे दूसरे कार्यों को करें।

जिला प्रबन्धन संरचना :

(48) जिला स्तर पर जिला सलाहकार समिति परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेगी और प्रतिभागी संस्थाओं की संलग्नता को बढ़ायेगी। इसका नेतृत्व प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे। इसमें अभिरूचि रखने वाले संस्थाओं तथा व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व होगा, जो परियोजना के कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। जिला सलाहकार समिति में मनोनयन प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा अभिरूचि रखने वाली संस्थाओं के परामर्श से किया जाएगा।

(49) जिला कार्यकारिणी जिला स्तर की कार्यकारी व्यक्ति समुदाय होगी, जिसे स्पष्ट परिभाषित अधिकार सौंपे जाएँगे, जिसमें सम्मिलित होंगे बुनियादी शिक्षा से सम्बद्ध सभी विभागाध्यक्षों के अधिकार। जिला कार्यकारिणी के सभापति कार्यकारिणी समिति द्वारा तय किया जाएगा और इसके सदस्यों में सम्मिलित होंगे, जिला स्तर के पदाधिकारीगण तथा अभिरूचि रखनेवाली संस्थाअें के प्रतिनिधिगण। जिला कार्यकारिणी के कुल सदस्य 15 से अधिक नहीं होंगे।

(50) जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त किए जाएँगे उन्हें जिला स्तर पर परियोजना के संबंध में वे ही अधिकार और उत्तरदायित्व होंगे जैसा राज्य कार्यक्रम निदेशक को राज्य स्तर पर है। वे प्रत्येक कार्यक्रम अंगीभूत तथा कार्यात्मक क्षेत्र के लिए स्थायी दल स्थापित करेंगे। स्थायी दलों के प्रधान एक साथ जिला कार्यकारी दल (डिस्ट्रीक्ट टास्क फोर्स) गठित करेंगे, जो जिला स्तर पर परियोजना की सहायता के लिए अंगसंबंधी समूह के रूप में कार्य करेंगे।

परिषद् के कोष :

(51) परिषद् के कोष निम्नलिखित से बने होंगे :-

1. परिषद् के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार प्रदत्त सहायक अनुदान,
2. अन्य श्रोतों से अंशदान,
3. परिषद् की समग्र सम्पत्ति से आय,
4. अन्य श्रोतों से परिषद् को प्राप्त राशि, तथा
5. अनुदान, दान या किसी प्रकार की सहायता विदेशी सरकारों और यूनिसेफ तथा अन्य बाह्य संस्थाओं द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से।

(52) कार्यकारिणी समिति तय करेगी कि परिषद् के लेन-देन करने वाले बैंक कौन होंगे। सभी कोष परिषद् के बैंक खाते में जमा होंगे और कार्यकारिणी समिति द्वारा इसके लिए अधिकृत ऐसे पदाधिकारी के हस्ताक्षरित चेक के बिना निकासी नहीं किया जाएगा।

लेखा और अंकेक्षण :

(53) 1. परिषद् वास्तविक लेखा तथा अन्य प्रसंगोचित अभिलेखों का संधारण करेगी तथा वार्षिक लेखा तैयार करेगी। जिसमें प्राप्ति तथा भुगतान लेखा, भारों का विवरण ऐसे प्रपत्र में होंगे जैसा

राज्य सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ सोसाईटीज के द्वारा निर्धारित होगा उन नियमों को ध्यान में रखते हुए, जो सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अधीन लागू हैं और उन शर्त्तों के अधीन केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के निर्देश लागू होंगे।

2. परिषद् के लेखाओं को प्रति वर्ष चार्टर्ड एकाउंटेंट सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षित कराया जाएगा।

3. अंकेक्षित लेखा की सूचना परिषद् को उपलब्ध कराई जाएगी, जो अंकेक्षण प्रतिवेदन अपने विचार के साथ केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को समर्पित करेगी।

4. परिषद् का लेखा नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार तथा सेवा शर्त्त) ऐक्ट, 1971 तथा समय-समय पर संशेधित प्रावधानों के भी अधीन होंगे।

वार्षिक प्रतिवेदन :

(54) परिषद् के कार्य तथा इसके द्वारा लिए गए वर्ष भर के कार्य के साथ आय-व्यय पत्रक तथा अंकेक्षित लेखा कार्यकारिणी समिति द्वारा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार तथा राज्य परिषद् के सदस्यों की सूचना के लिए तैयार किया जाएगा। परिषद् के अंकेक्षित लेखा के साथ वार्षिक प्रतिवेदन का प्रारूप तथा उस पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन परिषद् के समक्ष उसकी वार्षिक आमसभा में रखा जायेगा।

संशोधन :

(55) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अनुमोदन से परिषद् जिसके लिए स्थापित हुई उसके उद्देश्यों में फेरबदल कर सकती है, विस्तार कर सकती है या संक्षिप्त कर सकती है अथवा परिषद को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी दूसरी सोसाइटी के साथ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के प्रावधानों के अनुसार मिला सकती है जैसा बिहार राज्य में उपयुक्त हो।

(56) जैसे और जब नियमावली में अंकित मंत्रालयों, विभागों या संस्थाओं और पदनामों के नामकरण में कोई परिवर्तन होगा तो वैसे परिवर्तन इन नियमों में स्वत: सम्मिलित हो जाएँगे।

(57) परिषद् के विघटित होने की आवश्यकता हो तो वह सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 की धारा 13 और 14 के अधीन दिए गए प्रावधानों के अनुसार जो बिहार राज्य के उपयुक्त हो, विघटित हो जाएगी।

(58) यदि परिषद् की समाप्ति अथवा विघटन पर सभी कर्जों तथा भारों को समाप्त करने के बाद जो सम्पत्ति बचेगी वह न तो भुगतान होगी और न परिषद् के सदस्यों के बीच वितरित होगी और न उनमें किसी को दी जाएगी पर राज्य सरकार के पास जमा हो जाएगी, जो उसके उपयोग अथवा अन्यथा के बारे में राज्य सरकार के परामर्श से तय करेगी।

विविध :

(59) नियमक मंडल के सदस्यों की सूची प्रतिवर्ष एक बार रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 की धारा-4 के अधीन अपेक्षा के रूप में समर्पित की जाएगी।